श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड़, इन्दौर–452007
Phone:- 0731-2432822, Fax :- 0731-2536600
Email :-lcmpenf@mp.gov.in Website:- http://labour.mp.gov.in

परिपत्र

क्रमांक:- 04/05/नवम/प्रवर्तन/2020/235 **इन्दौर, दिनांक -30.06.2021**

विषय - **प्रवासी मजदूरों के कल्याण हेतुअंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979 के अंतर्गत संस्थानों के पंजीयन एवं ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति दिलाये जाने हेतु विशेष अभियान बाबद् ।**

संदर्भ - **(1) श्रम आयुक्त, कार्यालय का परिपत्र समसंख्यक पत्र क्र. 28393 दिनांक 31.07.2020 एवं क्रमांक 468 दिनांक 25.9.2020**

(2) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29.06.2021

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा याचिका क्र. wp (civil) No. (s) 6/2020 IN RE : PROBLEM AND MISERIES OF MIGRANT WORKERS. में आदेश दिनांक 29.06.2021 के माध्यम से ऐसे प्रवासी श्रमिक जो प्रदेश से बाहर जाते है, विशेष रूप से जो ठेकेदारों के माध्यम से ले जाए जाते है, ऐसे श्रमिकों को विधिक रूप से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं सतत् निगरानी के संबंध में समस्त संस्थानों का पंजीयन एवं ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति दिलाये जाने हेतु वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के परिपालन हेतु राज्य में नियोजित तथा ठेकेदारों द्वारा अन्य राज्यों में नियोजित करने हेतु राज्य से भर्ती करने वाले प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों तथा प्रबंधकों से निर्देशों का पालन कराये जाने हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी किये जाते है -

1. प्रवासी श्रमिकों के संबंध में जहां अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार का नियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979 लागू होता है, यह सुनिश्चित किया जाये कि -

i. राज्य में एक विशेष सर्वेक्षण अभियान दिनांक 01.07.2021 से 31.07.2021 तक आयोजित किया जाना है।

ii. यह अधिनियम उन स्थापनाओं पर लागू है जिसमें 5 या इससे अधिक अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार नियुक्त है। अधिनियम उन ठेकेदारों पर लागू है जिनके पास 5 या इससे अधिक अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार नियुक्त है।

iii. सर्वेक्षण अभियान में यह सुनिश्चित किया जाना है कि ऐसे स्थापनाओं का मुख्य नियोजक, जिस पर यह अधिनियम लागू है तत्काल प्रमुख नियोजक पंजीयन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा। शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है -

क्र.	किसी भी दिन स्थापन में नियोजित किये जाने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या	पंजीयन शुल्क
1	5-20	रूपये 60
2	21-50	रूपये 150
3	51-100	रूपये 300
4	101-200	रूपये 600
5	201-400	रूपये 1200
6	से अधिक 400	रूपये 1500

क्र.	किसी भी दिन स्थापन में नियोजित किये जाने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या	अनुज्ञप्ति शुल्क
1	5-20	रूपये 20
2	21-50	रूपये 40
3	51-100	रूपये 80
4	101-200	रूपये 160
5	201-400	रूपये 320
6	से अधिक 400	रूपये 400

श्रम सेवा पोर्टल http://www.labour.mp.gov.inपर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन प्राप्त की जाना है।

iv. अधिनियम की धारा 8 (1) के अनुसार कोई भी ठेकेदार अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना एक राज्य से दूसरे राज्य में नियोजन के लिए भर्ती नहीं करेगा तथा अधिनियम की धार 8 (2) के अनुसार बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये अन्य राज्यों से लाये गए प्रवासी श्रमिकों को राज्य में नियोजित नहीं कर सकेगा।

v. पंजीयन अधिकारी/अनुज्ञापन अधिकारी उक्तानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों का समुचित परिक्षण कर तत्काल पंजीयन/अनुज्ञप्ति जारी करेंगे।

vi. धारा 13 के अनुसार किसी भी प्रवासी कर्मकार को ठेकेदार द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948के अंतर्गत निर्धारित वेतन, मजदूरी दर से कम भुगतान नहीं किया जा

सकता है। वह वेतन का भुगतान श्रमिकों के बैंक खाते के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।

vii. **धारा 15** के अनुसार ठेकेदार, प्रवासी कर्मकार को अपने राज्य के निवास स्थान से दूसरे राज्य के कार्यस्थल तक दोनों तरफ का आने जाने का किराया अथवा यात्रा भत्ते का भुगतान करेगा तथा इस अवधि के वेतन भुगतान की भी पात्रता होगी, जो ऐसा माना जावेगा कि कर्मकार ने कार्य किया हो।

viii. **धारा 16** के अंतर्गत प्रत्येक ठेकेदार का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक कर्मकार को एक पास बुक दी जावे जिसमें श्रमिक का फोटो लगा हो तथा उसमें इस स्थापना का नाम, स्थान जहां कार्यरत है, नियोजन अवधि, प्रतिव्यक्ति मजदूरी दर, भुगतान का स्वरूप, विस्थापन भत्ता, जो भुगतान किया जाना है, वापसी किराया, आकास्मिक व्यय, कटौत्रा आदि की जानकारी हो। ठेकेदार की, श्रमिकों का नियमित भुगतान, कार्य की उपयुक्त दशा, बिना शुल्क चिकित्सा सुविधाएं, सुरक्षा कपडे, दुर्घटना होने पर प्राधिकारी एवं कर्मकार के आत्मीय जनों को सूचित, करने की जिम्मेदारी है, निशुल्क कार्यस्थल पर आवास व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, शौचालय व्यवस्थाकी भी जिम्मेदारी है।

ix. **धारा 17** के अंतर्गत ठेकेदार का दायित्व (Responsibility) है कि वे प्रवासी कर्मकार को समयावधि में वेतन तथा अन्य भुगतान करें।

x. **धारा 18** के अंतर्गत, चूक हो जाने की स्थिति में प्रमुख नियोजक का दायित्व है कि वे सभी भुगतान एवं सुविधाओं का लाभ दे।

xi. **धारा 23** के अंतर्गत मुख्य नियोजक/ठेकेदार द्वारा प्रपत्र 13 में ठेकेदारों द्वारा नियोजित प्रवासी कर्मकारों के संबंध में पंजी संधारित करेंगे, प्रपत्र 15 में विस्थापन व बाहरी यात्रा भत्तें की पंजी, प्रपत्र 16 में वापसी यात्रा भत्ता पंजी, प्रपत्र 17 में उपस्थिति पंजीतथा प्रपत्र 18 में वेतन पंजी संधारित करेंगे।

2. प्रवासी श्रमिकों को पात्रतानुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याणकारी योजनाओं जैसे -मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा,म.प्र. भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु समस्त नियोजकों का अपने संस्थान में कार्यरत कर्मकारों का उक्त योजनाओं में नामांकन कराया जाने हेतु परामर्श प्रदान करें।

3. श्रम विभाग की आधिकारिक पोर्टल www.labour.mp.gov.inपर शिकायत दर्ज कराने हेतु सुविधा "सहायता"मेन्यू के अंतर्गत "शिकायत और सुझाव दर्ज करें"पर उपलब्ध है। यह सुविधा प्रवासी या अन्य श्रमिक द्वारा शिकायत दर्ज करने हेतु उपयोग की जा सकती है।

अतः समस्त क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रमुख नियोजकों को पंजीयन एवं ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति दिलाये जाने हेतु विशेष अभियान दिनांक 01.07.2021 से 31.07.2021 तक चलाएंगे तथा अपने क्षेत्राधिकार के समस्त नियोजकों/संस्थानों एवं श्रम संगठनों को उक्त निर्देशों से अवगत कराये एवं परिपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, तथा संलग्न प्रपत्र में अभियान के दौरान प्राप्त की गई अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन की संख्या संबंधी जानकारी का पाक्षिक प्रतिवेदन संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
श्रमायुक्त
मध्यप्रदेश, इन्दौर

प्रष्ठांकन क्रमांक:- 04/05/नवम/प्रवर्तन/2020/18096-172 इन्दौर, दिनांक :- 30.06.2021

प्रतिलिपी-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. समस्त श्रम संगठन, औद्योगिक संगठन, व्यापारिक संगठन तथा वाणिज्यिक संगठन, म.प्र.।
3. समस्त कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों के अधिभोगी/प्रबंधक अन्य नियोजकगण ।
4. अपर श्रमायुक्त, मुख्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप श्रमायुक्त, मुख्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षकम.प्र. की ओर पालनार्थतथा समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं तथा कारखानों एवं अन्य नियोजकगणों को अवगत कराने हेतु प्रेषित ।
7. संचालक, समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं समस्त कारखानों को अवगत कराने हेतु पालनार्थ प्रेषित।
8. आई.टी. शाखा प्रमुख, मुख्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. गार्ड फाईल में संरक्षण हेतु।

श्रमायुक्त
मध्यप्रदेश, इन्दौर

अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम 1979 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन

(दिनांक 01 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक)

जिला - .....

क्र.	किये गए निरीक्षण	पंजीयन किये गए संस्थानों की संख्या	नवीन अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या

अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम